रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 2010/पौष 30, 1931

No. 37] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2010/PAUSA 30, 1931

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2010

सा.का.नि. 44(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय (विशेष कार्य अधिकारी) भर्ती नियम, 2003 को, जहां तक उनका संबंध विशेष कार्य अधिकारी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने की प्रतिबद्धता की गई है, शहरी विकास मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी (शहरी परिवहन) के पद पर भर्ती की पद्धति के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :**

(1) इन नियमों का नाम शहरी विकास मंत्रालय (विशेष कार्यअधिकारी-शहरी परिवहन) भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :** पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2)से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ(14) में विनिदिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता : वह व्यक्ति , -**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया हैं, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा :

परन्तु यदि केन्द्र सरकार संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद
1	2	3	4	5
विशेष कार्य अधिकारी (शहरी परिवहन)	1* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (अननुसचिवीय)	37,400 रुपए -67,000 रुपए (वेतन बैंड-4) + 10,000 रुपए ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेन्शन) नियमावली 1972 के नियम 30 के तहत सेवा में जोड़े गए वर्षो का लाभ अनुज्ञेय है या नही	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षित अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही
6	7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नही होता	लागू नहीं होता	लागू नही होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन अथवा ग्रेड द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा
10	11	12
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) 100 %	प्रतिनियुक्ति : (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्द्धसरकारी या स्वशासी या सांविधिक संगठनों के ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो मूल काडर/ विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 37400 रु0 - 67000 रु0 + 8700 रु. ग्रेड वेतन या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल या इलैक्ट्रिकल या यांत्रिक या संरचना इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य । (ii) 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें साध्यता आकलन क्षेत्र या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, परियोजना वित्तपोषण, अधिमानतः जन परिवहन प्रणाली की बृहत परियोजनाओं की मानीटरिंग या परियोजनाओं के गुणवत्ता नियंत्रण का पांच वर्ष का अनुभव सम्मिलित है । प्रतिनियुक्ति की अवधि अथवा संविदा जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
लागू नहीं होता	प्रत्येक मामले में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक हैं ।

[फा. सं. ए-11013/1/2009-प्रशा.-I]

विजय कुमार शर्मा, निदेशक (प्रशा.)

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2010

G.S.R. 44(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation (Officer on Special Duty) Recruitment Rules, 2003, insofar as they relate to the post of Officer on Special Duty, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Officer on Special Duty (Urban Transport) in the Ministry of Urban Development, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Urban Development (Officer on Special Duty-Urban Transport) Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scales of Pay.**—The number of the posts, its classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Methods of recruitment, age limit, and qualification, etc.**—Method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any persons, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reason to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

15

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether/Selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Officer on special Duty (Urban Transport)	1* (2010) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial)	Rs.37400-67000 (Pay Band-4) plus Grade Pay of Rs.10000	Not applicable

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct Recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8	9
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption or grades from which promotion or deputation or absorption to be made
10	11	12
Not applicable	Deputation (including short term Contract) 100 %	Deputation (including short term contract) Officers under the Central or State or Union Territory Governments or Public Sector Undertakings or semi Government or Autonomous or Statutory Organizations :- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band/ Pay scale of Rs.37400-67000 plus Grade Pay of Rs.8700 or Equivalent in the parent Cadre or department; and

240 GI/10-2

(b) possessing the following educational qualifications and experience :-

i) Degree in Civil or Electrical or Mechanical or Structural Engineering from a recognized University or

(ii) 15 years experience including five years experience in areas of appraisal of feasibility or detailed project report, project financing, project monitoring or quality control of projects, preferably in large projects of Mass Transport System.

Period of deputation or contract including period of deputation or Contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or in some other organization or department of the Central Government shall not ordinarily exceed five years. The maximum age limit for appointment on deputation including short term contract shall not exceed 56 years, as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
13	14
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary in each case.

[F. No. A-11013/1/2009-Admn-I]

VIJAY KUMAR SHARMA, Director (Admn.)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 23, 2010/फाल्गुन 4, 1931

No. 86] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 23, 2010/PHALGUNA 4, 1931

शहरी विकास मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2010

सा.का.नि. 98(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित शहरी विकास मंत्रालय की दिनांक 20 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 44(अ) के पृष्ठ 6 पर (ख) (i) के नीचे उल्लिखित "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा" शब्दों को "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था अथवा समकक्ष" पढ़ा जाए ।

[फा. सं. ए-11013/1/2009-प्रशासन-I]

वी. के. शर्मा, निदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

CORRIGENDUM

New Delhi, the 18th February, 2010

G.S.R. 98(E).—In the Ministry of Urban Development's Notification No. G.S.R. 44(E), dated 20th January, 2010 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), the words "recognized University or" indicated on page 6 under (b) (i) may be read as "recognized University/Institute or equivalent".

[F. No. A-11013/1/2009-Admn.-I]

V. K. SHARMA, Director (Admn.)

708 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.